334

संख्या 536 /XLI-1/2016-65 /2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना सलाहकार,
राज्य परियोजना सरलीकरण इकाई,
सुद्धोवाला, देहरादून।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून। दिनांक : 21 जुलाई, 2016

विषयः केन्द्र सहायतित योजना 'तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) फेज–2 के अन्तर्गत चयनित संस्था कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पन्तनगर हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 16–14/2016-TS.VII (General) दिनांक 28.04.2016, शासनादेश संख्या 16–14/2016-TS.VII (SC) दिनांक 28.04.2016, शासनादेश संख्या 16–14/2016- TS.VII (ST) दिनांक 28.04.2016, आपके पत्र संख्या 28/एसपीएफयू/2016–17 दिनांक 24.05.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान में विषयगत योजना/परियोजना हेतु केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त **₹ 240.00 लाख (₹ दो करोड़ चालीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्नांकित विवरणानुसार नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त 80 प्रतिशत केन्द्रांश धनराशि (लाख ₹ में)		
		अनुदान संख्या–11	अनुदान संख्या–30	अनुदान संख्या–31
1	कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पन्तनगर	186.00	36.00	18.00
	कुल योग	**240.00**		

2– उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है : –

(1) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु केन्द्रांश अवमुक्त करने हेतु निर्धारित अनुपात में ही संबधित श्रेणियों में किया जाएगा जिससे संबंधित सैक्टर को लक्षित लाभ की प्राप्ति हो सके।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, समस्त वित्तीय नियमों एवं तद्विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग निर्धारित समयान्तर्गत करते हुये प्रत्येक माह व्यय की गयी धनराशि का विवरण बी.एम.–8 पर प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

क्रमशः...2

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय भारत सरकार के उपरोक्त शासनादेशों में वर्णित शर्तों, व्यवस्थाओं व प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा बिल प्रति हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून द्वारा सीधे राज्य परियोजना सलाहकार को किया जायेगा। सम्बन्धित कोषागार बीजक एवं दिनांक की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या–11, 30 व 31' के अधीन लेखाशीर्षक "2203 के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी.संख्या **संलग्नक–1** के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश दि0 31.03.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या 536 (1)/XLI(1)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– केन्द्रीय परियोजना सलाहकार, राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक, एडसिल हाउस, चतुर्थ तल, 18ए, सेक्टर 16–ए, नोएडा–201301 (उ.प्र.)।
3– अनुसचिव (टी.सी.), भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी अनुभाग–7, कक्ष सं.–433–सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115
4– अधिष्ठाता, कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर।
5– जिलाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंह नगर।
7– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
8– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
10– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।